न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
19 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	23.03.2015	16.12.2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....आवेदक

बनाम

1–श्री सतीश सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह प्लान्ट इन्चार्ज मैसर्स लोटस डेयरी प्रोडक्ट प्रा. लि. एच–111, एच–1–128 आई आई डी सेन्टर रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक राज. निवासी नारायण गढ तह. बेरिया जिला बलिया उ.प्र. हाल निवासी मैसर्स लोटस डेयरी प्रोडक्ट प्रा. लि. एच–111, एच–1–128 आई आई डी सेन्टर रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक
2–मैसर्स लोटस डेयरी प्रोडक्ट प्रा. लि. एच–111, एच–1–128 आई आई डी सेन्टर रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक

.....अप्रार्थी

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री सलीम ए.के. सूरी।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 16.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.10.2013 को समय 02:18 पी.एम. मैसर्स लोटस डेयरी प्रोडक्ट प्रा. लि. एच–111, एच–1–128 आई आई डी सेन्टर रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री सतीश सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सतीश सिंह ने स्वंय को मैसर्स लोटस डेयरी प्रोडक्ट प्रा. लि. एच–111, एच–1–128 आई आई डी सेन्टर रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक का प्लान्ट इन्चार्ज बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा डेयरी का निरीक्षण करने पर पाया कि डेयरी में आम जनता को विक्रय करने हेतु लोहे के टेंकर में लगभग 14230 लीटर **मिश्रित दूध** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सतीश सिंह को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सतीश सिंह व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **मिश्रित दूध** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

किया जा रहा है, 2 लीटर खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 लीटर **मिश्रित दूध** को चार कांच की साफ, सूखी व स्वच्छ शीशियों में भरकर बराबर–बराबर 500 मिली. भरा तथा प्रत्येक कांच की शिशी में बतौर परिरक्षक फार्मेलिन की 40–40 बून्दें डालकर प्रत्येक शीशी को एयरटाइट ढक्कन लगाकर बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–816 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–816 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2014/30 दिनांक 10.12.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0 एस0/519/एक्ट/2014/526 दिनांक 18.11.2014 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **मिश्रित दूध अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक श्री सलीम ए.के. सूरी उपस्थित हुए एवं प्रार्थना पत्र जुर्म स्वीकार पेश कर जुर्म स्वीकार करते हुए प्रार्थी पर न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिश्रित दूध** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिश्रित दूध** का नमूना जांच में **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 50,000/—(अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0